मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–27.08.2013 को आई0 सी0 पी0, रक्सौल से संबंधित भू–अर्जन के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– संलग्न।

(1). आई0 सी0 पी0 रक्सौल के लिए अधिग्रहित की जानेवाली भूमि के किस्म के निर्धारण के संबंध में बैठक हुई। बैठक में मुख्य बिन्दु प्रथम चरण में 159.58 एकड़ एवं द्वितीय चरण में 67.32 एकड़ रैयती एवं 8.43 एकड़ सरकारी कुल–235.33 एकड़ भूमि के किस्म वर्गीकरण पर विचार किया गया।

(2). समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण ने अपने पत्रांक–154 दिनांक–18.08.2011 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र सं0–1002, दिनांक–10.10.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में समीक्षोपरांत किस्म आवासीय श्रेणी प्रतिवेदित किया है।

(3). उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में पुनः जमीन के किस्म के निर्धारण के लिए आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल एवं निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल को राजस्व विभागीय पत्रांक–1754 दिनांक–27.09.2011 के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच कर जाँचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(4) प्रमण्डलीय आयुक्त ने संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँचोपरांत फोटोग्रफी/विडियो साक्ष्य के साथ अधिग्रहण की जाने वाली प्रथम चरण की भूमि को भी आवासीय श्रेणी में वर्गीकृत करने की अनुशंसा की (प्रमण्डलीय आयुक्त का पत्रांक–4150 दिनांक–18.10.2011)।

(5). उक्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पर निर्णय हेतु दिनांक–09.01.2012 को तत्कालीन मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा/समीक्षा की गई तथा मौजा–एकडेरवा (रकवा–5.00 एकड़ जिसका पंचाट घोषित हो चुका था) को छोड़ कर शेष तीन मौजा यथा–हरैया, पनटोका एवं सिंहपुर में अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि का किस्म आवासीय (श्रेणी–1) के आधार पर राशि की गणना कर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

(6). तदोपरांत राजस्व विभागीय पत्रांक–222 दिनांक–24.01.2012 के द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से गृह सचिव, बिहार सरकार को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त गणना विवरणी के आधार पर राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

(7). गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा 30 नवम्बर 2012 को स्थल–निरीक्षण किया गया, जिसमें बिहार सरकार के प्रतिनिधि भी साथ में थे।

(8). गृह सचिव, भारत सरकार के द्वारा स्थल–निरीक्षण के उपरांत अपने पत्रांक–11012 दिनांक–12.01.2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अर्जित की जाने वाली भूमि का किस्म कृषि योग्य मानते हुए पुनः संशोधित मांग पत्र बनाकर भेजें।

(9). इस संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार के उक्त पत्र को संलग्न करते हुए राजस्व विभागीय पत्रांक–3032 दिनांक–24.12.2012 द्वारा समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से एक प्रतिवेदन की मांग प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से की गयी। उसके उत्तर में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के द्वारा अपने प्रतिवेदन में अर्जित भूमि की क्षमता (Potential) को आधार मानते हुए भूमि की किस्म को आवासीय प्रतिवेदित किया गया एवं इस पर प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा सहमति व्यक्त की गई (समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक–05 दिनांक–23.01.2013 एवं पत्रांक–249 दिनांक–13.07.2013 तथा प्रमण्डलीय आयुक्त का पत्रांक–847 दिनांक–26.02.2013)।

(10). विचार–विमर्श के दौरान यह बात भी प्रकाश में आई कि राजस्व विभाग, बिहार सरकार के पत्र सं0–2502 दिनांक–25.10.2012 के द्वारा एक परिपत्र भी निर्गत है, जिसमे जिला के समाहर्त्ता को अर्जित की जाने वाली भूमि की क्षमता (Potential) के आधार पर उसके किस्म को निर्धारित करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। यह परिपत्र गृह सचिव, भारत सरकार के स्थल निरीक्षण की तिथि से पूर्व निर्गत है।

चुँकि भू–अर्जन अधिनियम की धारा–12 के तहत अर्जित भूमि का अंतिम पंचाट (Final Award) की घोषणा नही हुई है अतः भू–अर्जन अधिनियम की धारा–11 के अनुसार राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–1002 दिनांक–10.10.2009 एवं परिपत्र सं0–2502 दिनांक–25.10.2012 के प्रावधान इस पर लागू होते हैं।

(11). ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्र सं0–2502 दिनांक–25.10.2012 कदाचित् स्थल निरीक्षण के समय गृह सचिव, भारत सरकार के संज्ञान में नही था। इसलिए उनके द्वारा अर्जित भूमि का किस्म कृषि योग्य संसूचित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

(क). **समाहर्ता पूर्वी चम्पारण/आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन तथा जिला प्रशासन द्वारा पुनः की गयी सघन स्थल–जाँच एवं राज्य सरकार के परिपत्र के आलोक में क्षमता (Potential) के आधार पर विषयगत भूमि को आवासीय (श्रेणी–1) माना जाए।**

(ख). **तदनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अर्जित भूमि के लिए अद्यतन वैधानिक ब्याज सहित पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करते हुए अवशेष राशि की मांग पुनः करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।**

सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

ह0/–
मुख्य सचिव,
बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0 (निरीक्षण)–पूर्वी चम्पारण–मोतिहारी–01/11 (खंड)/रा0, पटना–15, दिनांक–....../....../2013
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0 (निरीक्षण)–पूर्वी चम्पारण–मोतिहारी–01/11 (खंड)/रा0, पटना–15, दिनांक–....../....../2013
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0 (निरीक्षण)–पूर्वी चम्पारण–मोतिहारी–01/11 (खंड)/रा0, पटना–15, दिनांक–....../....../2013
प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0 (निरीक्षण)–पूर्वी चम्पारण–मोतिहारी–01/11 (खंड)/रा0, पटना–15, दिनांक–....../....../2013
प्रतिलिपिः– सचिव, निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0 (निरीक्षण)–पूर्वी चम्पारण–मोतिहारी–01/11 (खंड)/रा0, पटना–15, दिनांक–....../....../2013
प्रतिलिपिः– सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

–2257
ज्ञापांक–15/डी0एल0ए0 (निरीक्षण)–पूर्वी चम्पारण–मोतिहारी–01/11 (खंड)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/09/2013
प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/13

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

(421) [redacted] 8

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत इन्टेग्रेटेड चेक पोस्ट (I.C.P), रक्सौल के निर्माणार्थ भू–अर्जन/अधिग्रहण के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति।

क्र0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाइल नं0
1	श्री. अशोक [illegible]	प्रधान सचिव [illegible] [illegible] 27/8/13	
2	आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव गृह विभाग	[signature] 27.8.13	
3	वन्दना किनी Commissioner Tirhut/Darbhanga	वन्दना किनी	
4	दिनेश [illegible], निदेशक महानिरीक्षक	[signature] 27/8/13	
5	[illegible]	[signature]	
6	विनय कुमार	[signature] 27/8/13	
7	देवेन्द्र कुमार वर्मा, निदेशक, भू अर्जन	[signature] 27/8/13	
8	कुमार मंगलम, जिला भू अर्जन पदा०, मोतिहारी, पू०चम्पारण	[signature] 27/08/2013	
9			
10			
11			
12			
13			